न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी रणजीत सिंह आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 19 / 2025 अपील

1. लादी देवी पत्नि रतन लाल बैरवा निवासी पुर तहसील एवं जिला भीलवाडा बनाम	1. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार साहब, भीलवाड़ा। 2. भैरू पुत्र सोला बैरवा निवासी पुर तहसील एवं जिला भीलवाडा 3. मोहन पुत्र नानू बैरवा आयुनिवासी पुर तहसील एवं जिला भीलवाडा 4. देबी लाल पुत्र एकलिंग बैरवा निवासी पुर तहसील एवं जिला भीलवाडा 5. रतन लाल पुत्र कालू बैरवा निवासी पुर तहसील एवं जिला भीलवाडा
– अपीलाण्ट	– विपक्षीगण

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध नायब तहसीलदार भीलवाड़ा द्वारा जारी नामान्तरण आदेश संख्या 2353 दिनांक 23 / 06 / 1990

उपस्थित –

1. श्री दूदाराम कुमावत अधिवक्ता – अपीलार्थी की ओर से
2. राजकीय अधिवक्ता – विपक्षी संख्या 01 की ओर से

निर्णय

दिनांक 25.09.2025

अपीलार्थी की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 75 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट 1956 के तहत विपक्षी के विरूद्व प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि ग्राम पुर पटवार हल्का पुर–प्रथम भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र पुर तहसील एवं जिला भीलवाड़ा में खाता संख्या 2117 में आराजी नम्बर 4733 रकबा 0.1138 हैक्टयर, आराजी नम्बर 4736 रकबा 0.1138 हैक्टयर, आराजी नम्बर 5013 रकबा 0.1644 हैक्टयर कुल किता 03 रकबा 0.3920 हैक्टयर एवं खाता संख्या 2115 मे आराजी नम्बर 4724 रकबा 0.1265 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 4738 रकबा 0.2655 हैक्टयर, आराजी नम्बर 4764 रकबा 0.3288 हैक्टयर, आराजी नम्बर 4819 रकबा 0.2655 हैक्टयर, आराजी नम्बर

मनमकसूद तौर पर बिना अपीलार्थीया को सुने फैसल किया है, जो विधि विरूद्ध एवं नैसर्गिक सिद्वान्तो के विपरीत होने से अपास्त होने योग्य है। वैसे तो आलोच्य आदेश को चैलेज करने हेतु कोई मियाद नही है, फिर भी आदेश की दिनांक से अपील पेश करने में हुई देरी के समय को कण्डौन फरमाया जाने व कानूनी उजर रफा करने हेतु धारा– 05 कानून मियाद अधिनियम का प्रार्थनापत्र अलग से पेश है। अतः अपीलार्थीया की अपील स्वीकार फरमायी जाकर नायब तहसीलदार साहब, भीलवाड़ा द्वारा पारित नामान्तरणकरण संख्या 2353 दिनांक 23/06/1990 में अपील की चरण संख्या 01 मे वर्णित आराजियात के राजस्व रेकार्ड में कंकू पत्नी श्री रतन बैरवा के बजाय लादी देवी बैरवा पत्नी श्री रतन बैरवा दुरूस्त कराया जाने व इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड मे नाम इन्द्राज कराया जाने का आदेश प्रदान करावें।

प्रस्तुत अपील न्यायालय में पंजीबद्ध की जाकर विपक्षी को सम्मन नोटिस जारी किये गये। विपक्षी संख्या 02 से लगायत 05 बावजूद सूचना के लगातार अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की जाती हैं। प्रकरण में अपीलाण्ट एवं राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गयी।

सर्वप्रथम अपील मेमों में प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत परिसीमा अधिनियम धारा 5 के आवेदन पर मियाद के बिन्दु पर विचार किया गया। प्रार्थी ने मियाद के समर्थन मे शपथ पत्र पेश किया है। न्यायहित में नैसर्गिक न्याय सिद्धान्त को दृष्टिगत रखा जाकर प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 परिसीमा अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करते हुये अपील अपीलार्थी मियाद में शुमार करने के आदेश दिये जाते हैं।

अपीलाण्ट अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मेमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये बताया कि अपीलार्थीया के पति रतन पुत्र श्री नानू बैरवा का अपीलार्थीया के ससुर नानू पुत्र श्री प्रताप चमार (बैरवा) के जीवन काल में ही देहान्त हो गया व अपीलार्थीया के ससुर नानू पुत्र श्री प्रताप चमार की मृत्यु उपरान्त विरासत से नायब तहसीलदार साहब, भीलवाड़ा द्वारा जरिये नामान्तरणकरण संख्या 2353 के अपील की चरण सख्या 01 मे वर्णित आराजियात का विरासत से नामान्तरणकरण अपीलार्थीया एवं अपीलार्थीया की सास लाली बेवा नानू चमार व मोहन पुत्र श्री नानू

25.9.25

उपरोक्त विवेचन अनुसार अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार भीलवाडा के ग्राम पुर तहसील भीलवाडा के नामान्तरकरण सं. 2353 दिनांक 23.06.1990 की निरन्तरता में प्रस्तुत दस्तावेज अनुसार अपीलाण्ट का नाम कंकु उर्फ लादी देवी पत्नी रतन बैरवा दर्ज किया जावे। अतएव–

आदेश

अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के तहत अपील स्वीकार की जाती हैं। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार भीलवाडा द्वारा ग्राम पुर तहसील भीलवाडा के नामान्तरकरण सं. 2353 दिनांक 23.06.1990 की निरन्तरता में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार भीलवाडा को निर्देशित किया जाता हैं कि प्रकरण में अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज अनुसार अपीलाण्ट का नाम कंकु उर्फ लादी देवी पत्नी रतन बैरवा राजस्व रिकार्ड में अंकन कर दुरूस्त किया जावे। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार भीलवाडा को पालनार्थ भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 25.09.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

25.9.25

(रणजीत सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाडा

अति. जिला कलक्टर
भीलवाडा

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाडा (राज.)